न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 55/2018 RCMS No.–2018/00122

1. कन्हैया लाल उर्फ कानाराम प्रजापति पुत्र श्री नाथू राम, आयु 57 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर (राजस्थान)
2. रामलाल प्रजापति पुत्र श्री नाथुराम, आयु 62 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर (राजस्थान)

...निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर (राजस्थान) जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व नोटिस क्रमांक–पंचायत कालवाड /दिनांक 04.10.2018 ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

उपस्थितः–
1. श्री जयसिंह राजावत निगरानीकार की ओर से।
2. श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्ता गैर निगरानीकार की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.09.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कालवाड, पं.स. झोटवाडा द्वारा निगरानीकार को दिये गये नोटिस दिनांक 04.10.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.12.2018 को प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षी जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक व दो की ओर से श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निगरानीधीन आदेश से संबंधित पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

वकील निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत कालवाड ने निगरानीकार के विरूद्व नोटिस दिनांक 04.10.2018 जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। निगरानीकर्ता ग्राम कालवाड के निवासी है एवं अपने पूर्वजो की भूमि पर निवास करते आ रहे है। निंगरानीकर्ता का रिहायशी मकान खसरा नंबर 910 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम कालवाड की आबादी भूमि में बना हुआ है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी आवासीय भूमि के पट्टे चाहने बाबत ग्राम पंचायत में प्रीमियम राशि भी जमा करवाई है। इसके बावजूद निगरानीकर्ता को पट्टे जारी नहीं किए गए। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 21.06.2018 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आमजन में रास्ते/भवन आदि का अतिक्रमण हटवाये जाने एवं वार्ड पंचो की कमेटी गठित कर जांच करवाने के आदेश दिये गये। जिसके कम में गैर निगरानीकार ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 21.06.2018 व प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.10.2018 को लिया गया है, जिसमें रास्ते एवं पार्क की भूमि पर निगरानीकर्ताओ का अतिक्रमण करना बताया जाकर निगरानीकर्ताओ के कब्जे की रिहायशी भूमि से अतिक्रमण हटवाये जाने के निगरानीधीन आदेश दिये। जबकि निगरानीकर्ताओ की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

ओर से आम रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा द्वेषतावश निगरानीकर्ताओ को नोटिस देकर उनके कब्जे व अधिकार की भूमि से बेदखल करने के लिए निगरानीधीन नोटिस दिया है। गैर निगरानीकार की ओर से पंचो की कमेटी बनायी गयी जिनके द्वारा दिनांक 24.08.2018 को रिपोर्ट व नक्शा पेश किया गया है, जिसमें सार्वजनिक चौक में आने–जाने का रास्ता इन्दिरा बाजार से गेट नंबर 1 से होना बताया है जो आमदरफ्त है एवं गेट नंबर 2 प्रताप सिंह व रामलाल के भूखण्ड के दक्षिणी दिशा से पूर्व पश्चिम में होना बताया है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है एवं गेट नंबर 3 निगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड के उत्तर व पूर्व में स्थित है, जो कि सार्वजनिक चौक में आने जाने हेतु आमदरफ्त है जिसकी चौडाई लगभग 10 फीट की है। गैर निगरानीकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने जो नक्शा दिनांक 24.08.2018 को बनाया है उसमें निगरानीकर्तागण की ओर से किस हिस्से पर किस प्रकार का अतिक्रमण है प्रदर्शित नहीं कर रखा है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में लिये गये प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.10.2018 में ग्राम के 10 प्रतिशत व्यक्तियों की मौजूदगी आवश्यक है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 10 प्रतिशत व्यक्तियो की मौजूदगी के बिना प्रस्ताव संख्या 3 पारित किया है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा निगरानीकर्ता को जारी नोटिस दिनांक 04.10.2018 एवं प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 21.06.2018 व प्रस्ताव संख्या 3 व 4 आदेश दिनांक 02.10.2018 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करे। वकील निगरानीकार द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017(2) डी एन जे राज0 668, 1988 (2) आर.एल.आर 331, 2010 (9) एस सी सी 496 कान्ति एसोसिएट बनाम मसूद अहमद खान, 2013(2) सिविल कोर्ट कैसेज एस सी 484 मनोहर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आदि पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए ही निगरानीधीन प्रस्ताव पारित किए है। निगरानीकार ने अपनी बहस एवं निगरानी में वर्णित तथ्यो अनुसार वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार की मानकर आलौच्य आदेश को विधि विरूद्व बताया है। जबकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत कालवाड की ही है। जो पंचायती राज नियम 136 से स्पष्ट है। निगरानीकार की ओर से सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में सिविल न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.10.2018 के तहत निगरानीकार के इस बिन्दु/आपत्ति को खारिज कर भूमि ग्राम पंचायत की ही होना माना है व निगरानीकर्ता की अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2018 को खारिज कर दी है। निगरानीकार द्वारा ग्राम सभा में गांव के 10 प्रतिशत व्यक्तियो की मौजूदगी नहीं होने से निगरानीधीन प्रस्ताव विधि विरूद्व बताया है जबकि पंचायत मतदाता सूची वर्ष 2015 में 5300 मतदाता थे एवं ग्राम सभा में कुल 607 व्यक्ति उपस्थित थे। इस प्रकार गांव के 10 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्ति मौजूद थे। निगरानी कार ने जो मतदाता सुची प्रस्तुत कि है वह विधानसभा/लोकसभा की है, निगरानीकार ने पंचायत की मतदाता सुची प्रस्तुत नही की है। उक्त ग्राम सभा सभी गांव के लोगो के प्रतिवेदन पर नहीं होकर पंचायत समिति झोटवाडा के आदेश द्वारा आयोजित की गई थी। उक्त ग्राम सभा पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा आयोजित करवाई गई थी, जिस बाबत पत्रावली पर कार्यालय पं.स. झोटवाडा का कामंक 447–464 दिनांक 29.09.2018 संलग्न है। निगरानीकर्ता द्वारा कई व्यक्तियो के शपथ पत्र पेश कर उनका खण्डन न करना बताकर उक्त आधार पर निगरानी स्वीकार करना चाहा है, जो आधार चलने

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

55/18

योग्य नहीं है। निगरानीकार का विवादित भूमि पर अतिक्रमण है जो पूर्व सरपंच जगदीश यादव के द्वारा बी.एस.एन.एल., जी.एस.एम. टॉवर बाबत दिनांक 09.09.2005 को जारी नक्शे से स्पष्ट है। निगरानीकार सरकारी भूमि पर अतिक्रमी है जिसके विरूद्व विधिअनुसार प्रकिया अपनाई गई है। निगरानीकर्ता द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर निगरानी पेश की गई है निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे। वकील गैर निगरानीकार द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर 2011 एस.सी. 1123 जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य, एस.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 13851/2012 उनवानी घाटोली सेवा सहकारी समिति व अन्य बनाम कजोडमल व अन्य माननीय राज. उच्च न्यायालय, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 107 राम अवतार व अन्य बनाम रामधनी पेश किए।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति झोटवाडा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत कालवाड् द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.10.2018 द्वारा सामुदायिक भवन इंद्रा बाजार, कालवाड की चारदीवारी निर्माण कार्य में अतिक्रमण/रास्ते हेतु गठित कमेटी द्वारा निगरानीकारान का अतिक्रमण पाया गया। जिसके संबंध में निगरानीकारान को नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया जिसके विरूद्व न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की गई है। प्रकरण में वकील निगरानीकर्ता ने निगरानीकार द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना जाहिर किया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर निगरानीकार को नोटिस दिये जाने का कथन किया है तथा पुर्व मे निगरानी कार द्वारा अपने उक्त सम्पति के समबन्ध मे साल 1990 व 2008 मे ग्राम पंचायत से एनओसी लेकर निर्माण करना बताया है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर है कि निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत से एनओसी लेकर निर्माण किया हो ऐसा कोई दस्तावेज निगरानीकार ने प्रस्तुत नही किया है। जबकि निगरानीकार को अपने उक्त तथ्यो को साबित करने हेतु वर्णित एनओसी पेश करना आवश्यक था विधिनुसार कोई व्यक्ति अपने कब्जे के दस्तावेज न्यायालय मे प्रस्तुत नही करता है तो उसके विरूद्व ही एडवर्स उपधारणा की जाती है। निगरानीकार द्वारा ऐसा साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीकर्ता द्वारा विवादित भूमि पर पुराना कब्जा है। ऐसी स्थिति मे निगरानीकार का उसके द्वारा नक्शे मे वर्णित सम्पति पर पुराना कब्जा चला आ रहा हो ऐसा साबित नही होता है। इसके अलावा निगरानीकार की और से दिंनाक 12.06.2008 को अधिवक्ता भगवान सहाय शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत को भिजवाये गये नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होने उक्त नोटिस मे 20 इन्टु 70 फिट भूमी पर ही कब्जा बताते हुए पट्टा जारी करने की मांग की है जो दस्तावेज स्वयं निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि निगरानी के साथ वर्णित नक्शे मे निगरानीकार ने लगभग 1290 वर्गगज भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताया है। जो स्वयं उसके द्वारा प्रस्तुत नोटिस दिंनाक 12.06.2008 से ही मिथ्या साबित हो जाता है। इसके अलावा निगरानीकार की और से जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है, उनमे से पूर्व सरपंच जगदीश प्रसाद यादव का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त जगदीश प्रसाद यादव द्वारा अपने सरपंच पद पर ही अपने पूर्व कार्यकाल मे बीएसएनएल टावर द्वारा प्रस्तावित भूमि के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नक्शे मे निगरानीकार की नक्शे मे वर्णित भूमि को पंचायत की भूमि माना है। ऐसी स्थिति मे भी निगरानीकार विवादित भूमि पर अतिक्रमी साबित है। विचाराधीन निगरानी में ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा आयोजित ग्राम सभा गांव के लोगो के प्रतिवेदन पर नही होकर पंचायत समिति झोटवाडा के आदेश क्रमांक 447–464 दिनांक 29.09.2018 द्वारा आयोजित करवाई गई है जिस बाबत दिंनाक 29.09.2018 का पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत है एवं विकास अधिकारी पं.स. झोटवाडा के पत्रांक 2028 आदेश दिनांक 28.09.2018 द्वारा ग्राम सभा की बैठक में पठन एवं ग्राम सभा के प्रचार–प्रसार हेतु नियुक्त पंचायत सहायक ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा आयोजित ग्रामसभा दिनांक 02.10.2018 में उपस्थित था। इस प्रकार ग्राम सभा विधिनुसार ही है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत कालवाड के आदेश क्रमांक 213 दिनांक 10.07.2018 द्वारा इन्द्रा बाजार ग्राम कालवाड स्थित सामुदायिक भवन की चार दीवारी के निर्माण कार्य से पूर्व सामुदायिक भवन के पार्क व रास्ते पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने हेतु वार्ड पंचगण की कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत को दिनांक 24.08.2018 दी गई रिपोर्ट एवं नजरिया नक्शे में उल्लेख किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा सामुदायिक भवन की जमीन पर अतिक्रमण कर पुख्ता डन्डा बना लिया है जिसे नियमानुसार हटवाकर ही चार दीवारी का निर्माण कार्य किया जाना उचित होगा। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जिस भूमि के सम्बन्ध मे निगरानीकार को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम के नियमानुसार विधिअनुरूप कार्यवाही की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "जगपाल सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब मे प्रतिपादित किया है कि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को नियमित नही किया जा सकता है तथा ग्रामीण स्तरीय संयुक्त हित को केवल लम्बे समय से अवैध अतिक्रमण के तहत समाप्त नही किया जा सकता है"। ऐसी स्थिति मे ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया नोटिस दिंनाक 04.10.2018 व प्रस्ताव संख्या 07/21.06.2018 व प्रस्ताव संख्या 03 व 04/02.10.2018 विधिसम्मत है। इस प्रकार निगरानीकार की निगरानी मे उपरोक्त वर्णितनुसार कोई विधिक औचित्य नही होने के कारण निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर